- 1 -

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

22

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

R 4014 - I-16

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2016 जिला जबलपुर

बनवारीलाल वल्द खुशालीराम भूमियां (आदिवासी)
निवासी ग्राम पिपरियाकला तहसील
व जिला जबलपुर ----- आवेदक

विरूद्ध

1- मेसर्स हाईटेक डेव्हलपर्स एंड
प्लांटेशन 957 साउथ सिविल लाईन जबलपुर
द्वारा डायरेक्टर श्री अनूप चौरसिया आत्मज
स्व. श्री माताप्रसाद चौरसिया
निवासी 957 साउथ सिविल लाइर्नन जबलपुर

2- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर --- अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 29-11-16 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

616
29.11.16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 जिलाध्यक्ष, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 30/अ-21/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2016 से व्यथित होकर ।

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है कि :-

आवेदक द्वारा कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक कमांक 30/अ-21/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2016 से व्यथित होकर निम्न वर्णित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की गई है :-

रिवीजन के तथ्य

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की मौजा रिछाई प.ह.नं. 57/93 रा.नि.मं. खम्हरिया

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 4014–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-12-2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/अ–21/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 07–11–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक बनवारीलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25–3–13 को आवेदन पत्र पेश कर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की मौजा रिछाई प.ह.नं. 57/93 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 163, 169/2, 183, 185, 186/2, 214, 220, 225/2, 225/3 एवं खसरा नं. 227 कुल रकबा 0.69, 0.41, 0.24, 1.27, 0.80, 1.06, 0.85, 2.40, 2.00 एवं 0.40 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक 1 को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया । उक्त आवेदन पत्र कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन अभिमत सहित भेजने के निर्देश दिए । तीन वर्ष से अधिक समय हो जाने के उपरांत प्रकरण में प्रतिवेदन पेश नहीं किए जाने के कारण आवेदक द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन दिया गया जिस पर से कलेक्टर ने आलोच्य आदेश दिनांक 7–11–16 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अर्द्ध शासकीय पत्र भेजने के निर्देश देते हुए प्रकरण में	

R 4014-I/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

दिनांक 23–1–17 की तिथि नियत की है । कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर यह आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आलोच्य भूमि उसकी स्वअर्जित भूमि है शासन से प्राप्त भूमि नहीं है । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । तीन वर्ष तक आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निराकरण न करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी प्रकट है कि अनुविभागीय अधिकारी को अनेक पत्र प्रतिवेदन अभिमत सहित भेजने हेतु लिए गए हैं उसके उपरांत भी उनके द्वारा प्रतिवेदन अधीनस्थ न्यायालय को नहीं भेजे गये हैं इससे आवेदक के इस तर्क में बल है कि अधीनस्थ न्यायालय आवेदक के आवेदन का निराकरण नहीं करना चाहते हैं । आवेदक के अनुसार क्रेता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है ऐसी स्थिति में आवेदक को उसकी स्वअर्जित भूमिस्वामी स्वत्व की आवेदित भूमि विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं आती है । दर्शित परिस्थिति में जिलाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–11–16 निरस्त किया जाता है तथा यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की मौजा रिछाई प.ह.नं. 57/93 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 163 रकबा 0.69, खसरा नं. 169/2 रकबा 0.41, खसरा नं. 183 रकबा 0.24 हैक्टर,

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 4014–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	खसरा नंबर 185 रकबा 1.27 हैक्टर, खसरा नंबर 186/2 रकबा 0.81 व खसरा नं. 204 रकबा 0.60 हैक्टर को विक्रय किए जाने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :– 1– यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । पक्षकार सूचित हों । सदस्य	